न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (म0 प्र0)

प्रकरण क्रमांक : निग-42-II-15

खचौरी तनय पुच्चन बाढ़ई

निवासी ग्राम देवराहा, तहसील पलेरा

जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) -- आवेदक/ निगरानीकर्ता

।। विरूद्ध ।।

म0 प्र0 शासन

द्वारा तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़, म.प्र. -- अनावेदक

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 4-01-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा जारी निर्देश/आदेश प्रकरण क्रमांक - 44/बी-121/वर्ष 2013-2014 आदेश दिनांक 29/05/2014 के पालनार्थ मौजा संबंधित भूमि पटवारी हल्का रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 :-

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम नउटा चक्र अतरार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 14 रकवा 0.530 एवं खसरा नंबर 522 रकवा 0.579 हे. का व्यवस्थापन अपने पक्ष में करने हेतु तत्कालीन तहसीलदार महोदय पलेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, तत्कालीन तहसीलदार ने उक्त आवेदन स्वीकार कर पटवारी प्रतिवेदन चाहा, पटवारी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के आधार पर अपने प्रकरण क्रमांक 456/अ-19(ब) वर्ष 2002-2003 में पारित आदेश दि. 04/04/2003 के द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम नउटा (नउटा) चक्र अतरार तहसील पलेरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 14 रकवा 0.53 हे0 एवं खसरा नंबर 522 रकवा 0.579 हे. पर भूमि स्वामी नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया ।

2) यह कि, तहसीलदार महोदय पलेरा के प्रकरण क्रमांक - 456/अ-19(ब)/2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2003 पारित होने के बावजूद उक्त आदेश का पालन अमल में तत्कालीन पटवारी

...2..

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 42 –दो / 2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
18-1-16	आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 44 बी 121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार एंव प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम नउटा चक अतरार तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 14 रकबा 0.530 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 522 रकबा 0.579 हैक्टर तहसीलदार पलेरा के प्रकरण कमांक 456 अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2003 से आवेदक के हित में व्यवस्थापित की गई, परन्तु पटवारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–4–2003 का अमल खसरे में नहीं किया, जबकि आवेदक खचोरी पुत्र पुच्चन बाढ़ई व्यवस्थापन के दिन से निरस्तर काविज होकर खेती करता आ रहा है फिर भी पटवारी ने गस्त के दौरान भी उसका अमल खसरे में नहीं किया। 3/ आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर टीकमगढ़ से तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–4–03 का अमल कराये जाने का निवेदन किया। यह आवेदन अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में आने पर प्रकरण कमांक 44/बी–121/ 2013–14 पर दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने तहसीलदार पलेरा के प्रकरण कमांक	

निगरानी 42-II/16

456 अ–19/2002–03 को मँगवाकर सुनवाई करते हुये आदेश दि. 29–5–14 पारित किया तथा तहसीलदार के आदेश दि. 4–4–2003 का खसरे में अमल किये जाने के आदेश दिये, परन्तु हलका पटवारी ने इन आदेशों का भी पालन नहीं किया, जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का पालन कराये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जब तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 456 अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2003 से ग्राम नउटा चक अतरार तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 14 रकबा 0.530 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 522 रकबा 0.579 हैक्टर आवेदक के नाम व्यवस्थापित की है एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 44/बी–121/2013–14 पारित आदेश दिनांक 29–5–14 से अमल किये जाने के आदेश दिये हैं, तब तहसीलदार का दायित्व है कि वह हलका पटवारी से ग्राम नउटा चक अतरार स्थित भूमि सर्वे कमांक 14 रकबा 0.530 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 522 रकबा 0.579 हैक्टर पर खसरे में आवेदक के नाम की प्रविष्टि दर्ज कराये।

5/ अतएव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि वह अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 29–5–14 का पालन करायें तथा आवेदक के नाम की प्रविष्टि खसरा एंव अन्य शासकीय अभिलेख दर्ज में करावें।

सदस्य